# लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

**बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग**

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.

पत्रांक: BRLPS-LSBA/Estt/30/17/097 दिनांक- 08.05.18

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक
पटना ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति,
वैशाली,सारण,सीवान एवं गोपालगंज, बिहार ।

विषय: राज्य स्तरीय टीम द्वारा जिला भ्रमण के उपरांत समर्पित प्रतिवेदन पर कारवाई करने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय में सूचित करना है कि राज्य स्तरीय गठित तीन सदस्यी कमिटी द्वारा संबंधित जिलों में दिनांक 18 अप्रैल से 21 अप्रैल तक क्षेत्र भ्रमण किया गया तथा भ्रमण के उपरांत उनके द्वारा प्रतिवेदन समर्पित की गयी हैं ।

अत: निदेशानुसार अनुरोध है कि राज्य स्तरीय टीम द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर अग्रेत्तर आवश्यक कारवाई करने की कृपा की जाए एवं कृत कारवाई से राज्य कार्यालय को सूचित किया जाए ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक- यथोक्त ।

8/5/18

(राजीव कुमार सिंह)
प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, वैशाली, सारण, सिवान एवं गोपालगंज को प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- निदेशक-सह-सदस्य सचिव/जिला समन्वयक,जिला जल एवं स्वच्छता समिति, वैशाली, सारण, सिवान एवं गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

## दिनांक 18 अप्रैल से 21 अप्रैल 2018 तक वैशाली, सारण, सीवान एवं गोपालगंज का क्षेत्र भ्रमण प्रतिवेदन

निदेशानुसार, राज्य स्तरीय गठित तीन सदस्यीय कमिटि के द्वारा जिलों में संचालित कार्यक्रम के सहायक पर्यवेक्षण, आई0 ई0 सी0 गतिविधियों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, आई0 एम0 आई0 एस0 पर किये गये डाटा इन्ट्री के पूर्ण विवरण और आवश्यक सुझाव, खुल में शौच से मुक्त घोषित किये गये टोले, वार्ड एवं पंचायतों का भौतिक सत्यापन किया गया।

जिलों का किये गये तिथिवार भ्रमण के अनुसार अद्यतन स्थिति निम्न प्रकार हैः–

### जिलाः वैशाली

दिनांक 18.04.2018 को उप विकास आयुक्त कार्यालय, वैशाली में राज्य स्तरीय टीम के प्रतिनिधियों द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता समिति के कर्मियों के साथ उप विकास आयुक्त कि उपस्थिति में बैठक आयोजित कर पंचायत स्तरीय स्वच्छता केन्द्र और सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह के दौरान किये गये व्यय के समायोजन हेतु भुगतान के प्रकिया की जानकारी दी गयी। साथ आई0 एम0 आई0 एस0 पर किये गये डाटा इन्ट्री की जानकारी और सही रुप से अद्यतन करने पर आवश्यक सुझाव भी दिये गये। बैठक के दौरान संशय को दूर किया गया और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान पर आवश्यक मेनु बनाकर जानकारी दिये जाने का भी सुझाव दिया गया। साथ ही सभी जिलों के सभी पंचायतों में आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता केन्द्र बनाने और गंगा ग्राम में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष बल दिये जाने के बारे में बताया गया।

### जिलाः सारण

दिनांक 18.04.2018 को अपराह्न में जिले के **रिविलगंज प्रखंड के ईनई पंचायत** का क्षेत्र भ्रमण किया गया। जहां निर्मित शौचालयों का अवलोकन कर आवश्यक सुझाव दिया गया। लाभार्थियों से विचार–विमर्श करते हुये दो गड्डों वाले शौचालय निर्माण के तकनीक, उपयोग और भुगतान के प्रकिया की जानकारी दी गयी। स्थानीय स्वच्छाग्रहियों से भी वार्त्ता कर पंचायत को खुले में शौच मुक्त कराये जाने पर बल दिया गया।

भ्रमण के दौरान व्यक्तिगत शौचालय निर्माण किये श्री सुखदेव दास, ललन दास, दीपक कुमार सिंह वार्ड नं0 8 में वार्त्ता कि गयी, जो कार्यक्रम से संतुष्ट थे। अद्यतन स्थिति के अनुसार वार्ड नं0 7 में कुल 70 घर पाये गये जिनमें 31 का भुगतान किया जा चुका है, शेष भुगतान कि प्रकिया जारी है। स्वच्छाग्रही अजय कुमार सिंह के अनुसार उन्हें भी 25000रु0 का भुगतना किया जा चुका है।

राज्य स्तरीय टीम द्वारा अवलोकन के दौरान के पाया गया कि वाई जंक्सन के निर्माण में सही तकनीक अपनाये जाने की आवश्यकता है और दो गडडों वाले शौचालय निर्माण पर विशेष बल दिये जाने से गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। भ्रमण के दौरान स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि, जिला समन्वयक, जिला स्वच्छ भारत प्रेरक और प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के साथ महादलित टोला वार्ड नं0 11 और 12 का भ्रमण किया गया जिसमें भूमिहीन लाभार्थियों को छोड़कर सभी घरों में शौचालय पाये गये जो उपयोग में थे।

भ्रमण के उपरांत संध्या 5 बजे उप विकास आयुक्त, सारण के साथ जिला समन्वयक, जिला स्वच्छ भारत प्रेरक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी रिविलगंज और जिला जल स्वच्छता के अन्य कर्मियों के साथ बैठक कर अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गयी एवं अवलोकन के अनुकूल सुधार का सुझाव दिया गया। साथ ही पंचायत स्तरीय स्वच्छता केन्द्र और सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह के दौरान किये गये व्यय के समायोजन हेतु भुगतान के प्रकिया की जानकारी दी गयी। जिसके आलोक में उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा सुधार और गुणवत्ता पर बल दिये जाने का आश्वासन दिया गया। साथ ही सभी पंचायतों में आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता केन्द्र बनाने और गंगा ग्राम में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर विशेष बल दिये जाने के बारे में जानकारी प्राप्त कर, कियान्वित किये जाने की दिशा में अग्रेतर कारवाई किये जाने के बारे में कहा गया।

साथ ही उनके द्वारा राज्य स्तर से पंचायत स्तरीय सामुदायिक स्वच्छता केन्द्र बनाये जाने के लिये तकनीक और मॉडल की मांग भी कि गयी।

दिनांक 19.04.2018 को सारण प्रखण्ड के ही **लहलादपुर प्रखण्ड के**, खुले में शौच से मुक्त घोषित किये गये **बसही ग्राम पंचायत** का भौतिक सत्यापन, जिला समन्वयक, जिला स्वच्छ भारत प्रेरक, स्थानीय स्वच्छाग्रहियों एवं प्रखण्ड समन्वयक की उपस्थिति में किया गया। जिसमें वार्ड नं0 7 में कुल 55 घर पाये गये जिसमें 50 घरों में शौचालय निर्माण पूरा किया जा चुका था और भुगतान भी किया जा चुका है शेष 5 घरों में शौचालय निर्माण कार्य जारी था। जिसको पुरा करने का सुझाव दिया गया, विदित हो कि पंचायत अभी तक आई0 एम0 आई0 एस0 पर अभी खुले में शौच से मुक्त घोषित नहीं किया गया है। जिसे पूरा कराये जाने के उपरांत ही किया जायेगा। बसही बाजार पर मॉडल शौचालय के निर्माण किया गया है जिसमें जल निकासी, हाथ धोने एवं पैन के संबंध में आवश्यक सुझाव, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से मिल कर दिया गया, जिसके आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर सभी कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया गया है।

**जिलाः सीवान**

दिनांक 19.04.2018 को ही सीवान के जिले पचरुखी प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड समन्वयक एवं अन्य स्थानीय कर्मियों से प्रखण्ड कार्यालय में बैठक कर पंचायत स्तरीय स्वच्छता केन्द्र और सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह के दौरान किये गये व्यय के समायोजन हेतु भुगतान के प्रक्रिया की जानकारी दी गयी। साथ आई0 एम0 आई0 एस0 पर किये गये डाटा इन्ट्री की जानकारी और सही रुप से अद्यतन करने पर आवश्यक सुझाव भी दिये गये। बैठक के दौरान संशय को दूर किया गया और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान पर आवश्यक मेनु बनाकर जानकारी दिये जाने का भी सुझाव दिया गया। साथ ही सभी जिलों के सभी पंचायतों में आवश्यकतानुसार सामुदायिक स्वच्छता केन्द्र बनाने पर भी बल दिया गया।

तदोपरांत अपराह्न में खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत मखुमुपुर का भ्रमण किया गया, जिसमें भ्रमण के दौरान 25 से 30 घरों के शौचालयों को देखा गया और लाभार्थियों से भी वार्त्ता की गयी। लाभार्थियों के द्वारा शौचालय का उपयोग किया जा रहा था और ग्राम की स्थिति भी स्वच्छता के मामले में अच्छा पाया गया। स्थानीय स्तर पर कार्यरत पंचायत प्रतिनिधि और स्वच्छाग्रहियों के द्वारा किया गया कार्य भी सराहनीय था। पंचायत में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर कार्य किये जाने एवं स्थायीत्व पर बल दिये जाने का सुझाव दिया गया। जिसके आलोक में सभी ने अपनी सहमति दी।

संध्या 5 बजे जिला जल एवं स्वच्छता समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गयी और प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुठनी का डिजीटल सिग्नेचर रिसेट करते हुये, जिला समन्वयक एवं स्थानीय कर्मियों को भी जानकारी दी गयी। साथ ही जिले के द्वारा सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह के दौरान किये गये व्यय के समायोजन हेतु भुगतान के प्रक्रिया की जानकारी दी गयी और निदेशानुसार दिनांक 30 अप्रैल 2018 तक निश्चित रुप से समायोजित करने को कहा गया। डाटा इन्ट्री की जानकारी और सही रुप से अद्यतन करने पर आवश्यक सुझाव दिये गये एवं जिले के वार रुम का भी भ्रमण कर भी आई0 ई0 सी0 गतिविधियों पर बल दिये जाने का सुझाव दिया गया।

**जिलाः गोपालगंज**

दिनांक 20.04.2018 को विगत 1 वर्ष पूर्व खुले में शौच से मुक्त घोषित किये गये **थावे प्रखण्ड** का भ्रमण किया गया। जिसके अंर्तगत इद्रवां गाम पंचायत का भ्रमण कर अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गयी। ग्राम बैरिया इंद्रवां के भ्रमण में यह देखा गया की शौचालय निर्माण किया गया है, और खुले में शौच से मुक्त भी पाया गया। यह भी देखा गया कि स्थानीय प्रतिनिधि और कर्मियों के द्वारा स्थायीत्व के लिये भी योगदान दिया जा रहा है।

Prabhat

लेकिन भुगतान की स्थिति सही नहीं पाया गया, अभी तक भुगतान की प्रक्रिया जारी है जो कार्यक्रम और लाभार्थी के अनुसार सही नहीं बताया गया। साथ ही स्वच्छाग्रही के भुगतान में बिलंब किया गया है।

उक्त के संबंध में स्थानीय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय जाकर जानकारी दी गयी। साथ ही आई0 एम0 आई0 एस0 के सुधार पर भी बल दिया गया। स्थानीय प्रखण्ड समन्वयक द्वारा बताया गया कि 25 से 30 ऐसे लाभार्थी हैं जिनका भुगतान तो कर दिया गया है लेकिन उनका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर डाटा उपलब्ध नहीं है। जिसमें सुधार करने का आग्रह किया गया। जिसके आलोक में उनके कार्यालय में ही बैठकर डाटा को डाउनलोड कर मिलान करने की जानकारी दी गयी। साथ ही एक सप्ताह के अंदर इस प्रकार के सभी बिंदुओं को उल्लेखित उप विकास आयुक्त, गोपालगंज के माध्यम से पत्र प्रेषित कर राज्य स्तर पर भेजने का निदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के लंबित भुगतान को एक सप्ताह के अंदर किये जाने का सुझाव भी दिया गया।

दिनांक 21.04.2018 को बरौली प्रखण्ड कार्यालय का भ्रमण कर लाभार्थी भुगतान की प्रक्रिया में विलंब होने के साथ पंचायत स्तरीय स्वच्छता केन्द्र और सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह के दौरान किये गये व्यय के समायोजन हेतु भुगतान के प्रक्रिया की जानकारी ली गयी। साथ आई0 एम0 आई0 एस0 पर किये गये डाटा इन्ट्री की जानकारी और सही रुप से अद्यतन करने पर आवश्यक सुझाव भी दिये गये। बैठक के दौरान संशय को दूर किया गया और प्रखण्ड सभी पंचायतों को निधारित तिथि के अनुकूल खुले में शौच मुक्त किये जाने का योजना पर विचार–विमर्श किया गया।

बैठक के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला स्वच्छ भारत प्रेरक, प्रखण्ड समन्वयक एवं अन्य कर्मियों को भी कार्यक्रम में किये जा रहे नवाचार पर विशेष चर्चा की गयी।

भ्रमण के उपरांत अपराह्न 2 बजे उप विकास आयुक्त, गोपालगंज के साथ जिला सलाहकार, जिला स्वच्छ भारत प्रेरक, के साथ बैठक कर भ्रमण किये गये प्रखण्डों थावे और बरौली के अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गयी एवं अवलोकन के अनुकूल सुधार का सुझाव दिया गया। साथ ही पंचायत स्तरीय स्वच्छता केन्द्र और सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह के दौरान किये गये व्यय के समायोजन हेतु भुगतान के प्रक्रिया की जानकारी दी गयी। जिसके आलोक में उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा सुधार और गुणवत्ता पर बल दिये जाने का आश्वासन दिया गया।

सभी जिलों में भ्रमण के दौरान पंचायत स्तरीय कार्य योजना, आई0 ई0 सी0 गतिविधियों के सही रुप कियान्वयन, भुगतान की प्रक्रिया पर विशेष बल दिया गया, साथ ही भुगतान हेतु भरे गये फार्म की जांच एव अन्य दस्तावेजों को भी देख कर आवश्यक सुझाव दिये गये।

| | | |
|---|---|---|
| Tarun Kr Ranjan | Prabhat Ranjan | Mayank |
| **तरुण कुमार रंजन** | **प्रभात रंजन** | **मयंक कुमार मून** |
| (राज्य समन्वयक, आई0 ई0 सी0) | (MIS, राज्य सलाहकार, LSBA) | (PFMS, राज्य सलाहकार, LSBA) |